निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्याः–312/2016 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांकः– 23/09/2016
निर्णय दिनांकः– 29/08/2025

अनवान

1. खुबीलाल पिता प्यारेलाल सुनार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द **फौत**

1/1 मधुसुदन पिता खुबीलाल जाति सुनार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

1/2 राधादेवी पत्नी खुबीलाल जाति सुनार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता नाथू जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम सोपरी, पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी की आराजी संख्या 429/2 रकबा 07 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी को उसके पिता प्यारेलाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत से प्राप्त हुई है। इस भूमि के पास ही अप्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 438/2 स्थित है जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात में प्रवेश करता है तथा कृषि उपकरण हल बैलगाड़ी ट्रेक्टर का आवागमन अप्रार्थी की भूमि में होकर किया जाता है लेकिन अप्रार्थी आये दिन इस रास्ते को बन्द कर देता है जिससे प्राथी को कृषि उपकरण एवं अपनी तैयारशुदा फसल लाने ले जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। प्रार्थी का उद्देश्य प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में आवागमन करना है। प्रार्थी की आराजी ने अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है इस कारण प्रार्थी न्यायालय आप में यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, साथ में मौके का नजरी नवशा सलंग्न है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त भूमि के पूर्व दिशा में आराजी संख्या–438/2 स्थित है। आराजी सख्या–438/2 का अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। आराजी संख्या 438/2 में आम रास्ता विद्यमान है जिससे प्रार्थी अपनी आयाजियात में प्रवेश करता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने बाप दादाओं के जमाने से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है तथा लम्बे समय से खुले तौर पर निरन्तर निर्विघ्न विपक्षी की जानकारी में प्रार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारीयो का इसी रास्ते से आवागमन रहा है। यह रास्ता 15 फीट चौडा विद्यमान है जिससे प्रार्थी एवं विपक्षी अपने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण एवं मवेशी इत्यादि लाते ले जाते है लेकिन अब विपक्षी के मन में बद्द्यान्ति उत्पन्न हो जाने से वे प्रार्थी को इस रास्ते से आवागमन में बाधा कारित करना चाहता है जिससे उसने अपनी आयाजियात में से प्रार्थी को आवागमन से इनकार कर दिया है जिस कारण प्रार्थी को अपनी आराजी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अप्रार्थी की आराजी संख्या 438/2 की पाली पर विद्यमान रास्ते जिसका उल्लेख प्रार्थना पत्र की कलग संख्या 03 में वर्णित अनुसार है, आवागमन (रास्ते) की भूमि के 15 फीट चौडे रास्ते को धारा 251 ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

के प्रावधानो के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने के लिये जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है प्रार्थी अदा करने के लिये तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विपक्षी की आराजी संख्या 438/2 में आवागमन के रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में दिया गया है, उस 15 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे एवं रास्ते की भूमि को बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थी का आवागमन सुनिश्चित किया जावे।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी की आराजी संख्या 438/2 में से होकर 429/2 में नहीं आता जाता है ना ही कोई रास्ता बना है बल्कि प्रार्थी अप्रार्थी के खेत की आगे की तरफ हेमला मंगरी गांव का सार्वजनिक रास्ते से होकर अपने खेत आराजी संख्या 429/2 में से ही आता जाता है जो कि 30 फीट का रास्ता बना हुआ है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1(4) में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का खेत पूर्व दिशा मे ना होकर पश्चिम दिशा में है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पूर्व दिशा का गलत अंकन किया है। पत्र की कॉलम संख्या 1(5) में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। पत्र की कॉलम संख्या 1(6) में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1(7) में वर्णित तथ्य विधिक होकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1(8) में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी के पास खेत पर 30 फिट का रास्ता होते हुए अप्रार्थी को नाजायज रूप से परेशान करने से उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया जो सव्यय खारिज कर न्याय प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए इस भूमि के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है एवं 15 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में जाने के लिए पूर्व में बने रास्ते से आ–जा रहे है एवं अब नया रास्ता सृजित करवाना चाहते हैं जो न्यायोचित नहीं है।

तहसीलदार देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत पर जाने हेतु अप्रार्थी के खेत में से 15 फीट चौड़ा एवं 697 फीट लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए में प्रतिपादित है किः– [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a)a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b)a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the SubDivisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]

इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, द्वारा Bagh Singh v. The Board Of Revenue, Ajmer & Ors. प्रकरण में दिनांक 04.11.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

6. It is to be noticed that as per the provisions of Section 251-A of the Act, a tenant or a group of tenants in-tended to have a new way, or enlargement or widening of an existing way through the holding of another khatedar to have access to his holding or as the case may be, their holdings and the matter is not settled by mutual agreement, they may apply for such facility to the Sub Divisional Officer concerned. It is pertinent to note that before directing opening of the new way, the SDO has to arrive at the satisfaction after a summary inquiry that it is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of the holding and in case of a new way through another khatedar's holding, the absence of

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

alternative means of access is proved. Thus, the opening of the new way from the agriculture holding of another khatedar cannot be permitted unless and until the requirement as specified under Section 251-A of the Act, are satisfied.

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने हेतु वर्तमान बिलानाम आराजी संख्या 07 व 28 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा सिर्फ सुविधा के लिए नया रास्ता चाहा गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना प्रत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द